संख्या-20/2017/543/12-3-2017-100(61)/12टी.सी.

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 2017

विषय- कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, लाभार्थी चयन तथा अनुदान के डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) तथा अन्य भुगतानों हेतु प्रक्रिया व दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक-कम्प्यूटर-1019, दिनांक 01.05.2017 एवं कम्प्यूटर-1040, दिनांक 24.5.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, लाभार्थी चयन तथा अनुदान के डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) तथा अन्य भुगतानों हेतु शासनादेश संख्या-811/12-3-2014-100(61)/12, दिनांक 23.07.2014, शासनादेश संख्या-13/2015/2580/12-2-2015-बजट.5/2012, दिनांक 17.08.2015 एवं शासनादेश संख्या-35/2016/2667/12-2-2016-9/15, दिनांक 28.09.2016 तथा शासनादेश संख्या-1483/12-3-2016, दिनांक 25.11.2016 को निरस्त करते हुए एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रक्रिया व दिशा-निर्देश निर्धारित किया जाता है:-

1. **<u>आनलाइन पंजीकरण:-</u>**

विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किस किसान को कौन सी सुविधा/ लाभ देय है, उसका व्यापक प्रचार प्रसार समाचार पत्रों, विभागीय वेबसाइट, रेडियो, टेलीविजन, गोष्ठियों, किसान मेलों तथा एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रत्येक किसान तक पहुँचाया जाय। उन्हे यह भी जानकारी दी जाय कि किस लाभ को प्राप्त करने के लिये किन किन कागजातों की आवश्यकता होगी और क्या औपचारिकतायें पूर्ण करनी होंगी तथा लाभ को प्राप्त करने के लिये अन्तिम तिथि क्या होगी, इसका निर्धारण निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

कृषि विभाग की योजनाओं से कोई भी लाभ प्राप्त करने वाले किसान, मजदूर अथवा संस्था का आनलाइन पंजीकरण पारदर्शी किसान सेवा योजना की वेबसाइट पर कराना अनिवार्य होगा। उक्त शासनादेश में पंजीकरण हेतु अब पहचान पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड को ही स्वीकार किया जायेगा, जो लाभार्थी पहले से पंजीकृत हैं और उन्होने अपने पहचान के रूप में आधार नम्बर नहीं दिया है उन्हे भी अपना आधार कार्ड नम्बर अपडेट कराना अनिवार्य होगा। प्रत्येक लाभार्थी का केवल एक बार पंजीकरण होगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

2. **<u>ऑन लाइन लक्ष्य निर्धारण आवंटन व वितरण:-</u>**

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में सम्बन्धित योजनाधिकारियों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन संचालित योजना की स्वीकृत कार्य योजना/गाइड लाइन के अनुरूप अपनी लागिन से क्षेत्रवार/इकाईवार/जनपदवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों तथा आवंटन को क्रमिक रूप से पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। तत्पश्चात जनपदीय/क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन कराते हुये इसी पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक भुगतान ऑन लाइन किया जायेगा ताकि हर स्तर पर समीक्षा हेतु ग्रास रूट लेबिल से लेकर राज्य स्तर तक ऑन लाइन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति लाभार्थी सूची सहित उपलब्ध रहे।

यदि निदेशालय स्तर से जनपदवार ही लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कार्ययोजना में जनपदीय अधिकारी को विकास खण्डवार, क्षेत्रवार या इकाईवार लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है तो योजना क्रियान्वित कराने वाले सम्बन्धित जनपदीय/क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपनी लागिन से विकास खण्डवार, क्षेत्रवार या इकाईवार लक्ष्य आनलाइन किया जायेगा और उसके सापेक्ष आनलाइन लाभ वितरण सुनिश्चित कराते हुये पोर्टल के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन एंव अनुश्रवण किया जायेगा।

3. **<u>लाभार्थी चयन:-</u>**

3.1 पंजीकृत कृषकों में से विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की गाइडलाइन्स, कार्ययोजना, स्वीकृत लक्ष्यों, प्राथमिकताओं एंव प्रतिबन्धों के अनुरूप वस्तुवार पहले पंजीकृत कृषकों को पहले लाभ दिया जायेगा। यह चयन सूची पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पर योजना की गाइडलाइन के अनुसार कृषक श्रेणीवार (लघु, सीमान्त, बड़े) क्षेत्रवार, वर्गवार (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) तथा लिंगवार (महिला, पुरूष) आनलाइन तैयार होगी। जिन योजनाओं में अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिये पृथक से बजट प्राविधान है उनकी चयन सूची पृथक से पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पर सिस्टम द्वारा ऑन लाइन तैयार करते हुये सम्बन्धित लेखाशीर्षक से ही भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा। इस बात की सम्भावना को देखते हुये कि चयनित किसान में से कुछ किसान लाभ लेने नही आते तो पंजीकृत किसानों में से ही अधिकतम 20 प्रतिशत किसानों की प्रतीक्षा सूची बनाई जायेगी एंव समस्त प्रकार के चयनित कृषकों की सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगी। यह सूची वितरण आरम्भ होने के 15 दिन पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, ताकि लाभाथ्र्ाी को लाभ प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

3.2 लाभार्थी के लिये चयन पत्र वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। जिसमें लाभार्थी से अनुदान प्राप्ति हेतु अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण करने का विवरण भी होगा।

3.3 चयनित लाभार्थियों को उनके द्वारा पंजीकृत मोबाइल पर एस0एम0एस0 भेजकर एंव जिनके मोबाइल नम्बर उपलब्ध एंव एक्टिव नहीं हैं उनको लिखित रूप से सूचित किया जायेगा। लाभार्थी द्वारा लाभ प्राप्त करने की औपचारिकता पूर्ण न करने पर एक सप्ताह पश्चात पुन: लिखित अनुस्मारक अनिवार्य रूप से दिया जायेगा जिसमें एक सप्ताह का अन्तिम अवसर होगा।

3.4 यदि द्वितीय अनुस्मारक के बाद भी चयनित लाभार्थी द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की जाती हैं तो उसे ''चयन अस्वीकृत पत्र'' विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्राप्त कराया जायेगा। तदोपरान्त जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा अस्वीकृत पत्र का पत्रांक तथा कारण का आनलाइन उल्लेख करते हुये चयन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा एंव प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3.5 लाभार्थी चयन की उक्त पारदर्शी व्यवस्था लागू होते ही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अलग अलग आदेशों से आफलाइन लाभार्थी चयन के लिये गठित कमेटियाँ स्वत: समाप्त हो जायेंगी।

3.6 ग्राम पंचायत की खुली बैठक में भी चयनित लाभार्थियों की सूची के साथ योजनाओं की जानकारी विभाग के प्राविधिक सहायक द्वारा दी जायेगी।

3.7 जिन वस्तुओं की मॉग कम है और वितरण हेतु लक्ष्य और उपलब्धता अधिक है। व्यापक प्रचार-प्रसार के उपरान्त भी वितरण हेतु उपलब्ध मात्रा के लिये पर्याप्त ऑन लाइन पंजीकृत लाभार्थी उपलब्ध नही हो पाये ऐसी वस्तुओं के लिये चयन सूची बनाने की आवश्यकता नही होगी क्योकि जितने भी लाभार्थी पंजीकृत हुये है, उन सभी को लाभ वितरण हेतु सम्बन्धित वस्तु उपलब्ध होगी।

4. <u>पंजीकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का सत्यापन एंव रखरखाव:-</u>

(अ) पंजीकरण के समय- ऐसे पंजीकृत लाभार्थी जिन्होने पंजीकरण के समय ही अपना आधार कार्ड की छाया प्रति, खतौनी की नकल एंव बैंक पास बुक की छाया प्रति उपलब्ध करा दी है और उसे उप कृषि निदेशक ने मूल अभिलेखों से मिलान कर लिया है तो ऐसे लाभार्थियों के तीनों अभिलेखों पर पंजीकरण संख्या तथा गार्ड फाइल का क्रमांक डालते हुये उप कृषि निदेशक के स्तर पर सुरक्षित रखा जायेगा। तत्पश्चात उप कृषि निदेशक द्वारा अपनी लागिन से पंजीकृत डाटा को गार्ड फाइल के क्रमांक का उल्लेख आनलाइन करते हुये लाक कर दिया जाय। ऐसे वैलीडेटेड डाटा से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रत्येक चयन व लाभ वितरण के साथ बार बार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह आनलाइन भी अंकित हो जाय कि यह डाटा वैलीडेटेड है। गार्ड फाइल में सुरक्षित रखे गये अभिलेख इस प्रकार व्यवस्थित हों कि उनको भविष्य में स्कैन कराकर पोर्टल पर अपलोड कराया जा सके।

(ब) चयन के समय- ऐसे लाभार्थी जिनके पंजीकरण से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, उनसे चयन के पश्चात पंजीकरण से सम्बन्धित तीनों अभिलेख प्राप्त कर उप कृषि निदेशक द्वारा उक्त प्रक्रिया के अनुसार डेटा वैलीडेट एंव लाक करना अनिवार्य होगा।

(स) वितरण के समय- ऐसे लाभार्थी जिनका डाटा वितरण के समय तक वैलीडेटेड नहीं है उनसे वितरण से पूर्व पंजीकरण से सम्बन्धित तीनों अभिलेख प्राप्त कर सर्वप्रथम राजकीय बीज भण्डार प्रभारी द्वारा मूल अभिलेखों से सत्यापित करते हुये उप सम्भागीय अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। जिला कृषि अधिकारी सन्तुष्ट होने पर उसे उप कृषि निदेशक को भेजेंगे। बिल पारित करने से पूर्व उप कृषि निदेशक द्वारा तीनों अभिलेखों का परीक्षण करते हुये अपने स्तर पर पृथक कर गार्ड फाइल में उपर्युक्तानुसार सुरक्षित रखा जायेगा तथा अपनी लागिन से डाटा वैलीडेट एंव लाक कर दिया जायेगा।

5. अनुदान के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) एंव अन्य समस्त आनलाइन भुगतानों हेतु प्रक्रिया:

कृषि विभाग की योजनाओं में आनलाइन पंजीकृत पात्र लाभार्थी को किसी भी प्रकार का लाभ देने से पूर्व लाभ वितरण हेतु अधिकृत कृषि विभाग के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यंत्रों के लिये यंत्रों का अनुदान हस्तान्तरण हेतु फार्म का प्रारूप (संलग्नक-3) तथा अन्य समस्त वस्तुओं के लिये अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन का प्रारूप (संलग्नक-1) पर दिये गये रूपपत्र को भरवाकर लाभार्थी के हस्ताक्षर प्राप्त करते हुये आनलाइन पंजीकरण से सत्यापित किया जाय। तदोपरान्त लाभ वितरण के लिये मदवार निम्न प्रक्रिया अपनाई जाय:-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

5.1. <u>प्रमाणित बीज के सामान्य वितरण हेतु:-</u>

5.1.1 विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज, सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संस्थाओं यथा कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, यू0पी0एग्रो, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, इफको, कृभको, राष्ट्रीय बीज विकास निगम इत्यादि जिन्हे शासन द्वारा अधिकृत किया गया हो, के बीज विक्रय केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को पूरे मूल्य पर उपलब्ध कराये जायेगें एंव अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जायेगी। अनुदानित बीज वितरण की व्यवस्था मात्र उन्हीं बीज विक्रय केन्द्रों से की जायेगी, जो कि संस्था के अपने कर्मचारियों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। निजी विक्रेताओं के माध्यम से अनुदानित बीज की बिक्री एवं वितरण का कार्य नहीं किया जायेगा।

5.1.2 जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में सभी संस्थाओं के मिलाकर कुल 5 से 10(यथा आवश्यकता) विक्रय केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी, जहाँ से कृषक अपनी इच्छानुसार प्रमाणित बीज क्रय कर सकेंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत विक्रय केन्द्रों का चयन एवं निर्धारण कृषि निदेशक, उ0प्र0 के द्वारा किया जायेगा। किसी भी कृषक को प्रत्येक फसली मौसम में अधिकतम 02 हेक्टेयर जोत की सीमा तक के लिये ही अनुदान पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जायेगा ताकि लघु एंव सीमान्त कृषकों को अधिक से अधिक बीज अनुदान का लाभ प्राप्त हो सके।

5.1.3 प्रमाणित बीज को एक कृषक के द्वारा तीन वर्षों तक प्रयोग में लाया जा सकता है। अत: जिन कृषकों को किसी फसली मौसम विशेष में प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया गया है, उन्हें उस फसली मौसम विशेष से तीन वर्ष पश्चात् ही पुन: प्रमाणित बीज पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसा करने से अधिक से अधिक कृषकों को वर्षानुवर्ष सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा तथा प्रदेश में उत्पादकता एवं उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

5.1.4 ऐसे कृषक जिन्होने फसली मौसम विशेष में अधिकतम अनुमन्य सीमा 02 हे0 से कम पर बीज अनुदान प्राप्त किया है, उनको आगामी वर्षो के उसी फसली मौसम विशेष में अवशेष सीमा तक किसी भी फसल व प्रजाति हेतु अनुदान पर बीज उपलब्ध रहेगा।

5.1.5 ऐसे कृषक जो फसली मौसम विशेष में ली गयी फसल के अतिरिक्त किसी अन्य फसल का बीज आगामी दो वषोर्ं में लेना चाहते हैं तो उनको आगामी फसली मौसम विशेष में अन्य फसल हेतु अनुदान पर बीज अनुमन्य होगा।

5.1.6 पारदश्र्ाी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर बीज हेतु एक बार पंजीकृत किसान को प्रतिवर्ष बीज के लिये पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

5.1.7 बीज विक्री के साथ ही भण्डार प्रभारी द्वारा आनलाइन तीन प्रतियों में तैयार विक्रय रसीद की एक हस्ताक्षरित प्रति किसान को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। रसीद की प्राप्ति स्वरूप सम्बन्धित किसान के हस्ताक्षर अथवा अँगूठा निशान (यदि किसान अशिक्षित हो) विक्रय रसीद की कार्यालय प्रति पर भण्डार प्रभारी के द्वारा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5.1.8 कृषि विभाग से अनुदान की धनराशि कृषकों के बैंक खाते में स्थानान्तरण हेतु निम्नवत समय सीमा की अनुमन्यता होगी-

अ- बीज भण्डार प्रभारी द्वारा पूरे मूल्य पर बिक्री किये गये बीज की कुल धनराशि को अधिकतम तीन दिन के अन्दर नियमानुसार चालान से राजकोष में जमा करना होगा। तत्पश्चात आनलाइन बिल, विक्रय

http://shasanadesh.up.nic.in

रसीद की द्वितीय प्रति, किसान से प्राप्त अभिलेख एंव जमा किये गये चालान की स्वप्रमाणित प्रति जिला कृषि अधिकारी को चौथे दिन जाँच हेतु भेजनी होगी।

ब- जिला कृषि अधिकारी द्वारा भण्डार प्रभारी से प्राप्त चालान एंव अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त सन्तुष्ट होने पर आनलाइन अनुदान बिल सहित समस्त अभिलेख अधिकतम दो दिन के अन्दर उप कृषि निदेशक को अग्रसारित कर दिये जायेंगे। कोई त्रुटि पाये जाने पर उसका अंकन जिला कृषि अधिकारी द्वारा स्वंय अभिलेख पर करते हुये उप कृषि निदेशक को अग्रसारित किया जायेगा।

स- उप कृषि निदेशक के स्तर पर जिला कृषि अधिकारी से प्राप्त बिल, अभिलेख व चालान का परीक्षण कर अधिकतम चार दिन के अन्दर कोषागार में प्रस्तुत करना होगा। यदि अब तक की प्रक्रिया में कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित का दायित्व निर्धारित करते हुये त्रुटि का सुधार भी इसी स्तर पर कराया जायेगा। उप कृषि निदेशक द्वारा विशेष रूप से बैंक खाते की जाँच करने के उपरान्त ही कोषागार में बिल प्रस्तुत किये जाँयेंगे तथा किसी भी दशा में एक बैंक खाते में एक से अधिक लाभार्थी का अनुदान स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

द- कोषागार से भुगतान प्रक्रिया में अधिकतम तीन दिन का समय लगना चाहिये। यदि कोषागार द्वारा डी0बी0टी0 से सम्बन्धित बिलों के त्वरित भुगतान हेतु विलम्ब किया जाता है तो विभागीय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को उसकी जानकारी देते हुये भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।

उक्त समय सीमा अधिकतम है। डी0बी0टी0 प्रक्रिया में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को किसानों के खाते में न्यूनतम दिनों में अनुदान स्थानान्तरण का प्रयास करना चाहिये।

5.1.9 **कृषि विभाग के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा बीज बिक्री** के पूर्व लाभाथ्र्ाी किसान तथा उसके अभिलेखों का सत्यापन करते हुये पूर्ण सन्तुष्टि के पश्चात अनुदानित बीज की विक्री पूरे मूल्य पर की जायेगी। तत्पश्चात अधिकतम चार दिन के अन्दर आनलाइन बिल की हार्ड कापी, विक्रय रसीद की प्रति एंव किसान से प्राप्त निर्धारित अभिलेखों की प्रति सम्बन्धित संस्था के अधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर अपनी संस्था के जनपदीय अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

5.1.10 संस्था के जनपदीय अधिकारी द्वारा विक्री केन्द्र से प्राप्त बिलों को तथा अभिलेखों का परीक्षण अपने स्तर पर करते हुये पूर्ण सन्तुष्टि के पश्चात बिल की हार्ड कापी पर अपने मुहर सहित हस्ताक्षर करते हुये अधिकतम दो दिन के अन्दर अपने जनपद के उप कृषि निदेशक को प्राप्त कराना होगा।

5.1.11 तत्पश्चात जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा उक्त निर्धारित समय सीमा में कोषागार से किसानों के बैंक खातों में डी0बी0टी0 कराना होगा। जो अभिलेख संस्था के जनपदीय अधिकारी द्वारा उप कृषि निदेशक को अग्रसारित किये जायेंगे उनकी एक प्रति संस्था के जनपदीय कार्यालय में भी सुरक्षित रखनी होगी।

5.1.12 संस्था के जनपदीय अधिकारी अभिलेखों को अच्छी तरह से जाँचने के पश्चात ही हार्ड कापी पर अपने हस्ताक्षर करते हुये जनपदीय उप कृषि निदेशक को भुगतान हेतु बिल अग्रसारित करें। ऐसा न करने पर किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये संस्था के सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5.2 <u>संकर बीजों के सामान्य वितरण हेतु:-</u>

5.2.1 संकर बीजों की विकास खण्ड स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में अधिकृत कम्पनियों के स्टॉल विकास खण्ड स्तर पर लगवाकर संकर बीजों की बिक्री का आयोजन कराया जायेगा।

5.2.2 विकास खण्ड स्तर पर संकर बीज वितरण का कार्यक्रम कम्पनियों द्वारा प्रात: 10 बजे से सायं 4 बजे तक किया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

5.2.3 संकर बीज हेतु प्रदेश में कृषक किसी भी अधिकृत कम्पनी, जिसका स्टाल विकास खण्ड स्तर पर कृषि विभाग द्वारा लगवाया गया हो, से भारत सरकार द्वारा नोटीफाइड संकर बीज, जो उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो, उसका क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

5.2.4 कृषकों को अच्छी प्रजाति/गुणवत्ता के बीज प्राप्त हों, इसके लिए सम्बन्धित अधिकृत कम्पनी/फर्मों से परफार्मेंस बैंक गारण्टी के रूप में विक्रय मूल्य के सापेक्ष कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा पूर्व निर्धारित धनराशि इस आशय से ली जाएगी कि यदि कृषकों के यहां बीज की गुणवत्ता/परफार्मेंस खराब होती है तो धरोहर धनराशि से सम्बन्धित कृषकों को क्षतिपूर्ति करायी जा सके।

5.2.5 सम्बन्धित कम्पनियों/फर्मों से यह शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि विकास खण्ड स्तरीय बीज विक्रय अभियान हेतु निर्धारित दर से कम दर पर बीज की विक्री खुले बाजार में नहीं करेंगे। उल्लंघन की दशा में विभाग द्वारा सम्बन्धित कम्पनी/फर्म की धरोहर धनराशि जब्त करते हुये भविष्य के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ कृषि निदेशक द्वारा सीड एक्ट के अन्तर्गत सम्बन्धित कम्पनी/फर्म के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5.2.6 कृषक को अपनी स्वेच्छा से भूमि के स्वामित्व के क्षेत्र के अनुसार परन्तु अधिकतम 02 हे0 क्षेत्र के लिए ही अनुदानित संकर बीज क्रय करना अनुमन्य होगा।

5.2.7 पंजीकृत कृषक, अधिकृत कंपनियों के स्टॉल पर पंहुचकर बीज क्रय करेंगे और अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-1) पर अपना विवरण भरते हुये क्रय रसीद की प्रति के साथ विकासखण्ड स्तर पर कृषि विभाग के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्राप्त करायेंगे।

5.2.8 कृषक द्वारा पूरे मूल्य पर क्रय किये गये संकर बीज की डी0बी0टी0 बीज भण्डार प्रभारी द्वारा अधिकतम तीन दिन के अन्दर आनलाइन बिल, क्रय रसीद की प्रति एंव किसान से प्राप्त अभिलेख के साथ जिला कृषि अधिकारी को जॉंच हेतु भेजनी होगी।

5.2.9 जिला कृषि अधिकारी द्वारा भण्डार प्रभारी से प्राप्त क्रय रसीद एंव अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त सन्तुष्ट होने पर आनलाइन बिल, समस्त अभिलेखों के साथ अधिकतम दो दिन के अन्दर उप कृषि निदेशक को अग्रसारित कर दिया जायेगा।

5.2.10 सामान्य बीज वितरण के अन्तर्गत डी0बी0टी0 हेतु निर्धारित समय सीमा का पालन संकर बीजों में भी किया जायेगा।

5.2.11 प्रत्येक दिन कृषकों को वितरित किये जाने वाले बीज से सम्बन्धित लाभार्थियों की सूची एक रजिस्टर में भी बीज भण्डार प्रभारी द्वारा अंकित कराने के उपरान्त प्रतिदिन शाम को सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी/उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी से सत्यापित करायी जाएगी।

5.2.12 अधिकृत कम्पनी/फर्म द्वारा विकास खण्डवार संकर बीज के वितरण की रिपोर्ट प्रतिदिन सांय विकास खण्ड के गोदाम प्रभारी को दी जायेगी। इस रिपोर्ट को भण्डार प्रभारी द्वारा आनलाइन सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक एवं जनपदीय उप कृषि निदेशक को (संलग्न प्रारूप-2 पर) प्रेषित की जाएगी।

5.2.13 कृषि विभाग के जिला कृषि अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर बीज वितरण की कार्यवाही की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी बीज वितरण कम्पनियों द्वारा कराकर उसे वेबसाइट पर अपलोड कराया जाय।

5.3 <u>कृषि विभाग द्वारा किये जाने वाले प्रदर्शन हेतु:-</u>

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

5.3.1 कृषि विभाग द्वारा उपज पालन की योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले सभी प्रदर्शनों हेतु पंजीकृत कृषकों का चयन जनपदीय उप कृषि निदेशक तथा भूमि संरक्षण की योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले सभी प्रदर्शनों हेतु पंजीकृत कृषकों का चयन भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रदर्शन आयोजित किये जाने से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे कि समय से प्रदर्शन आयोजित हो सके।

5.3.2 कृषि विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न फसलों का क्लस्टर प्रदर्शन भी कराया जाता है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र विशेष में कृषकों के समूह के क्लस्टर बनाकर कृषि विभाग की देख-रेख में वैज्ञानिक पद्धति से खेती करायी जाती है, ताकि उन्नत तकनीक का कृषकों के मध्य प्रदर्शन हो सके।

5.3.3 क्लस्टर प्रदर्शन हेतु सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी द्वारा जिन गॉवों के समूह को क्लस्टर में शामिल किया जाना है उनको पहले से चिन्हित कर क्लस्टर नम्बर देना होगा एंव जो गॉव क्लस्टर में शामिल हैं केवल उन्ही गॉवों के पंजीकृत कृषकों को सम्बन्धित क्लस्टर में शामिल कर डी0बी0टी0 की जायेगी। एक बार गठित क्लस्टर के गॉव की पुनरावृत्ति नहीं होगी, जिससे कि प्रदर्शन का लाभ प्रत्येक क्षेत्र के किसानों को मिल सके।

5.3.4 प्रदर्शन के अन्तर्गत जो भी घटक/कम्पोनेन्ट शामिल हैं उन समस्त घटक/कम्पोनेन्ट का लाभ लाभाथ्र्ाी को प्रदर्शन हेतु चयन करते समय आनलाइन निर्धारित करना और यथाआवश्यकता प्रत्येक कम्पोनेन्ट की डी0बी0टी0, प्रदर्शन कार्यक्रम के क्रम में करना अनिवार्य होगा।

5.3.5 प्रदर्शन में यदि ऐसा कोई अनुदान शामिल है जिसकी उपलब्धता कृषि विभाग द्वारा नहीं की जा रही है तो ऐसी स्थिति में कृषक के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मूल बिल को सत्यापित कर अनुमन्य सीमा तक अनुदान हस्तान्तरण किया जायेगा।

5.3.6 फसल पद्धति प्रदर्शन के अन्तर्गत चयनित किये गये किसानों को एक बार फसल पद्धति कार्य योजना के अनुसार अनुदान अनुमन्य होगा।

5.3.7 किसी भी किसान के खेत में जिस फसल का प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित कर दिया जायेगा उस फसल की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

5.3.8 सामान्य बीज वितरण के अन्तर्गत डी0बी0टी0 हेतु निर्धारित समय सीमा का पालन प्रदर्शन में भी किया जायेगा।

5.3.9 प्रमाणित एवं संकर बीजों के सामान्य वितरण एंव प्रदर्शन हेतु उक्त वर्णित व्यवस्था के साथ निम्नलिखित प्राविधान सामान्यतया लागू रहेगें:-

(अ) प्रमाणित / संकर बीज के पंजीकरण एंव वितरण के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए महत्वपूर्ण समाचार पत्र में भी विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा तथा अन्य माध्यमों यथा विकास खण्ड स्तर पर दीवार लेखन (wall painting), केबल टी0वी0, गोष्ठियों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जायेगा।

(ब्र) बीज विक्रय केन्द्रों पर प्रमाणित / संकर बीजों का सामान्य वितरण व प्रदर्शन निम्न प्रकार निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराया जाना चाहिये।

फसल ऋतु	बीज वितरण व प्रदर्शन की तिथि
जायद	1 फरवरी से 30 अप्रैल तक
खरीफ	1 मई से 30 सितम्बर तक
रबी	1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

5.4 कृषि रक्षा रसायनों के सामान्य वितरण हेतु:-

कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कृषि रक्षा रसायन हेतु कार्ययोजना में स्वीकृत दरों एंव पात्रता के अनुरूप पंजीकृत कृषक अनुमन्य सीमा तक लाभ पा सकेंगे।

5.4.1 विभिन्न फसलों से सम्बन्धित कृषि रक्षा रसायनों को प्रदेश में स्थापित कृषि विभाग की समस्त कृषि रक्षा इकाईयों, यू०पी०स्टेट एग्रो एवं सहकारिता के विक्रय केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को पूरे मूल्य पर विक्रय किया जायेगा। तदोपरान्त सम्बन्धित भण्डार प्रभारी द्वारा विकास खण्ड के वितरण फीडिंग लागिन से जनपदीय कृषि रक्षा अधिकारी को आनलाइन बिल अग्रसारित किया जायेगा। कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपने लागिन से आनलाइन योजना की संस्तुति करते हुये बिल आहरण वितरण अधिकारी को अनुदान के भुगतान हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

5.4.2 जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड में कृषि रक्षा इकाई स्थापित है जंहा से कृषक द्वारा अपनी इच्छानुसार कृषि रक्षा रसायनों का क्रय किया जा सकता है। कृषकों द्वारा कई बार एक से अधिक कृषि रक्षा रसायनों का क्रय किया जाता है अत: उन्हे यह स्वतंत्रता होगी कि अपने जनपद के अंतर्गत स्थापित किये गये किसी भी संस्था के विक्रय केंद्र से कृषि रक्षा रसायनों का क्रय कर सकें। किसी भी कृषक को अधिकतम 02 हेक्टेयर की सीमा तक के लिये ही अनुदान पर कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध कराया जायेगा। निजी विक्रेताओं से क्रय किये गये कृषि रक्षा रसायनों पर किसी भी प्रकार का अनुदान देय नहीं होगा।

5.4.3 पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर **कृषि रक्षा रसायन** हेतु एक बार पंजीकृत किसान को प्रतिवर्ष **कृषि रक्षा रसायन** के लिये पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

5.4.4 जिन कृषकों को विकास खण्ड स्तर पर स्थित कृषि रक्षा इकाई से कृषि रक्षा रसायनों का वितरण कर दिया जायेगा, उससे सम्बन्धित विक्रय रसीद गोदाम प्रभारी द्वारा तीन प्रतियों में बनायी जायेगी। जिनमे से एक प्रति कृषक को उपलब्ध करा दी जायेगी। रसीद की दूसरी प्रति, सम्बन्धित अभिलेख, आधार कार्ड की प्रति, खतौनी की नक़ल, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति के साथ गोदाम प्रभारी द्वारा जिला कृषि रक्षा अधिकारी के पास भेज दी जायेगी ।

5.4.5 सामान्य बीज वितरण के अन्तर्गत डी0बी0टी0 हेतु निर्धारित समय सीमा का पालन **कृषि रक्षा रसायन के अनुदान स्थानान्तरण के लिये भी** किया जायेगा। इस प्रक्रिया में मात्र इतना अन्तर है कि जिला कृषि अधिकारी के स्थान पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी शामिल होंगे।

5.5 कस्टम हायरिंग सेन्टर, फार्म मशीनरी बैंक, कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण एंव बखारी के वितरण हेतु **-**

5.5.1 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु किसान द्वारा पंजीकरण से पूर्व समूह का गठन करना आवश्यक होगा और उस समूह का नाम ऑनलाइन पंजीकरण के समय उल्लिखित करना होगा। पंजीकरण से पूर्व यदि समूह गठित नहीं है तो उन्हे वरीयता क्रम में लाभ हेतु चयन नहीं किया जायेगा। यदि कस्टम हायरिंग सेन्टर समूह के द्वारा स्थापित किया जा रहा है तो ऐसे समूह का गठन भी पंजीकरण के पूर्व आवश्यक होगा।

5.5.2 फार्म मशीनरी बैंक तथा कस्टम हायरिंग सेन्टर के लाभाथ्र्०ाी यंत्रों के क्रय से 6 वर्ष तक यंत्रों को विक्रय, बन्धक या स्थानान्तरित नहीं कर सकते।

5.5.3 कृषि यंत्रो हेतु चयनित पंजीकृत कृषक स्वेच्छा से किसी भी कम्पनी का कृषि यन्त्र जो आई0एस0आई0 मार्क, सी0आई0ए0ई0 (सेन्ट्रल इन्स्टीटयूट आफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग), एस0ए0यू0 (स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज) अथवा एफ0एम0टी0टी0आई0(फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्ं०टग इन्टीट्यूट) द्वारा निर्धारित

http://shasanadesh.up.nic.in

मानकों के अनुरूप हो, को अपनी आवश्यकता के अनुरूप खुले बाजार में अधिकृत विक्रेता से क्रय कर सकता है।

5.5.4 कृषि यंत्रो हेतु जिन चयनित पंजीकृत कृषकों को जिस शक्ति चालित कृषि यंत्र को एक बार अनुदान पर दे दिया जायेगा उस यंत्र हेतु पुनः किसी भी योजना में आगामी दस वर्ष तक न तो अनुदान हेतु चयन किया जायेगा और न ही उस यंत्र पर अनुदान दिया जायेगा। मानव चालित कृषि यंत्रों तथा वाटर कैरिंग पाइप पर पाँच वर्ष तक का प्रतिबन्ध लागू होगा। ऐसा करने से अधिक से अधिक कृषकों को वर्षानुवर्ष सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा तथा यंत्रीकरण के विस्तार के द्वारा किसानों की आय में वृद्धि के साथ प्रदेश के कृषि उत्पादन एंव उत्पादकता में भी वृद्धि होगी।

5.5.5 चयनित पंजीकृत कृषकों को ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र पात्रता हेतु अपने नाम से ट्रैक्टर की आर0 सी0 (आर0टी0ओ0 पंजीयन) होना अनिवार्य होगा।

5.5.6 चयनित कृषक को यंत्र के अनुदान हेतु चयन होने के 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित यन्त्र का क्रय करना अनिवार्य होगा। चयन की तिथि से पूर्व क्रय कर लिये गये यंत्रों पर अनुदान अनुमन्य नही होगा।

5.5.7 चयनित कृषकों को यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये चयन के अधिकतम 45 दिन के अन्दर समस्त अभिलेख ऑन लाइन अपलोड कराने होंगे।

5.5.8 अभिलेख अपलोड होने के पश्चात 10 दिन के अन्दर सम्बन्धित क्षेत्र के प्राविधिक सहायक स्वयं किसान के पास जाकर उसके द्वारा क्रय किये गये यंत्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे, यंत्रों का फोटो लेकर अपलोड करेंगे एंव किसान द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों की मूल प्रति प्राप्त कर सत्यापित करेंगे और उसे निर्धारित प्रपत्र संलग्नक-3 के साथ सम्भागीय कृषि अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से परीक्षण व सत्यापन कराते हुये मूल अभिलेखों के साथ उप कृषि निदेशक को भुगतान हेतु प्राप्त करायेंगे। उल्लेखनीय है कि ऐसे कृषि यंत्र जिन पर रूपये दस हजार या उससे अधिक का अनुदान देय है, ऐसे यंत्रों का सत्यापन प्राविधिक सहायक के स्थान पर सम्भागीय कृषि अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी/ जिला कृषि रक्षा अधिकारी के द्वारा किसान के पास जाकर स्वंय किया जायेगा।

5.5.9 कृषि रक्षा उपकरण एवं बखारी पर देय अनुदान का लाभ वितरण, विकास खण्ड स्तर पर स्थापित कृषि रक्षा इकाई द्वारा उक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा तथा इनसे सम्बन्धित अभिलेखों का सत्यापन कर बिल जिला कृषि अधिकारी के स्थान पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी के द्वारा उप कृषि निदेशक को भुगतान हेतु प्रेषित किया जायेगा।

5.5.10 उप कृषि निदेशक द्वारा यंत्र क्रय से सम्बन्धित मूल अभिलेखों का, अपलोड किये गए अभिलेखों से एवं सत्यापन रिपोर्ट से मिलान करते हुए पारदर्शी किसान सेवा योजना के अंतर्गत आवंटित लागिन पासवर्ड से अनुदान के भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

5.5.11 इस प्रकार लाभार्थी द्वारा समस्त प्रपत्र ऑन लाइन अपलोड करने के उपरान्त सत्यापन के लिए 10 दिन तथा भुगतान प्रक्रिया के लिए 10 दिन कुल अधिकतम 20 दिन के अन्दर लाभार्थी को अनुदान का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी०बी०टी०) के माध्यम से बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

5.6 <u>भूमि संरक्षण की समस्त योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान हेतु-</u>

http://shasanadesh.up.nic.in

5.6.1 भूमि संरक्षण की समस्त योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतानों, चाहे भुगतान किसी अनुदान का हो, किसी कार्य का हो या किसी सेवा का हो, के लिये ऑनलाइन पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत किसानों, मजदूरों एंव संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य होगा।

5.6.2 समस्याग्रस्त भूमि के अन्तर्गत शामिल किसानों का एम0बी0 संख्या अंकित करते हुये क्लस्टर आधार पर वर्गीकरण किया जायेगा तथा दिये जाने वाले समस्त लाभों का उल्लेख चयन के समय आनलाइन किया जायेगा।

5.6.3 समस्याग्रस्त भूमि का डिजिटल मैप तैयार कराना होगा। तदोपरान्त भूमि सुधार से पूर्व तथा कार्य के समय का डिजिटल जीओ (GEO) टैग्ड फोटोग्राफ डिजिटल मैप सहित पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। उस समस्याग्रस्त भूमि पर कार्य करने वाले मजदूरों के बैंक खातों में सीधा भुगतान आनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। मजदूरी हेतु स्थानीय पंजीकृत मजदूरों को वरीयता दी जायेगी।

5.6.4 समस्याग्रस्त भूमि का सुधार हो जाने के पश्चात परिवर्तित स्वरूप का पुन: डिजिटल फोटोग्राफ अपलोड करना होगा और जिस समस्याग्रस्त भूमि का सुधार हो चुका है तो उस पर आगामी वर्षो में किसी भी योजना से सुधार कार्य नही कराया जायेगा। पुन: सुधार का कार्य भूमि संरक्षण एक्ट में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गठित जिला समिति के निर्णय के अनुरूप ही कराया जा सकेगा।

5.6.5 भूमि संरक्षण के अन्तर्गत होने वाले प्रदर्शनों को भी अन्य योजनाओं के प्रदर्शनों की भॉति ही भूमि संरक्षण अधिकारी के द्वारा कराकर समस्त कम्पोनेन्ट से सम्बन्धित भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी/कृषक के बैंक खाते में सीधे किया जायेगा।

5.6.6 भूमि संरक्षण की सभी योजनाओं में लाभार्थियों (किसान/मजदूर/संस्था) के बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जायेगा। कोषागार से धनराशि आहरित कर किसी भी कमेटी या अन्य के बैंक खाते में जमा नहीं कराई जायेगी।

5.7 <u>सोलर फोटो वोल्टिक सिंचाई पम्प-</u>

5.7.1 अनुदानित दर पर सोलर फोटो वोल्टिक सिंचाई पम्प प्राप्त करने के लिये किसान को ऑन लाइन पंजीकरण के साथ यह विकल्प देना होगा कि वह 2, 3 या 5 कितने हार्स पावर का पम्प चाहता है।

5.7.2 पहले पंजीकरण कराओ पहले लाभ पाओ के सिद्धान्त के आधार पर सोलर फोटो वोल्टिक सिंचाई पम्प हेतु ऑन लाइन पंजीकृत कृषकों की विकासखण्डवार लक्ष्य के अनुसार सूची तैयार करते हुये जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा जनपद के किसी भी श्रेणी-2 के अधिकारी से इस बात का सत्यापन एक सप्ताह में कराया जायेगा कि 2 हार्स पावर के सोलर पम्प हेतु पंजीकृत किसान के पास 4 इंच तथा 3 एवं 5 हार्स पावर सोलर पम्प के लिये 6 इंच क्रियाशील बोरिंग उपलब्ध है। यदि सत्यापित कृषकों की संख्या लक्ष्य से कम होती है तो वरीयता क्रम में अतिरिक्त सूची तैयार की जायेगी।

5.7.3 सम्बन्धित फमोर्ं द्वारा जनपद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने एंव कार्य प्रारम्भ करने की स्थिति स्पष्ट होने पर जनपदीय उप कृषि निदेशक 50-50 के समूह में पात्र चयनित कृषकों को मोबाइल पर एस0एम0एस0 तथा पोर्टल पर चयन सूची लगाते हुये संदेश देना होगा कि उन्हे 15 दिन के अन्दर कृषक अंश का बैंक ड्राफ्ट जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय में प्राप्त कराया जाय तथा उसकी एक प्रति ऑन लाइन भी अपलोड की जाय।

5.7.4 निर्धारित अवधि में बैंक ड्राफ्ट न जमा करने पर चयनित कृषक को लिखित अनुस्मारक द्वारा एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात किसान को लिखित सूचना देते हुये उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा और प्रतीक्षा सूची के किसानों को वरीयता क्रम में लाभ दिया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

5.7.5 **उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा किसानों से कृषक अंश रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट विकास खण्डवार सूची बनाते हुये किसानों के पते के साथ फर्मो को सूची उपलब्ध कराते हुये एक माह के अन्दर किसान के ख्े०ात में सोलर फोटो वोल्टिक सिंचाई पम्प की स्थापना कराना अनिवार्य होगा।**

5.7.6 **सोलर पम्प स्थापित होने के उपरान्त किसान के साथ स्थल का फोटो विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने के उपरान्त नियमानुसार ऑन लाइन अनुदान स्थानान्तरण की कार्यवाही उप कृषि निदेशक द्वारा कराई जायेगी। तत्पश्चात लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की सूची पोर्टल पर सार्वजनिक कर दी जायेगी।**

5.8 <u>जिंक सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रियन्ट वितरण</u>-

5.8.1 जिंक सल्फेट तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट की विकास खण्ड स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में अधिकृत कम्पनियों के स्टॉल विकास खण्ड स्तर पर लगवाकर जिंक सल्फेट तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट की बिक्री का आयोजन कराया जायेगा।

5.8.2 विकास खण्ड स्तर पर जिंक सल्फेट तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट वितरण का कार्यक्रम कम्पनियों द्वारा प्रात: 10 बजे से सायं 4 बजे तक किया जायेगा।

5.8.3 जिंक सल्फेट तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट हेतु प्रदेश में कृषक किसी भी अधिकृत कम्पनी, जिसका स्टाल विकास खण्ड स्तर पर कृषि विभाग द्वारा लगवाया गया हो, से जिंक सल्फेट तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

5.8.4 कृषकों को गुणवत्तायुक्त जिंक सल्फेट तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्राप्त हों, इसके लिए सम्बन्धित अधिकृत कम्पनी/फर्मों से परफार्मेंस बैंक गारण्टी के रूप में विक्रय मूल्य के सापेक्ष कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा पूर्व निर्धारित धनराशि इस आशय से ली जाएगी कि यदि बिक्री के पश्चात जिंक सल्फेट तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट खराब पाया जाता है तो धरोहर धनराशि से सम्बन्धित कृषकों को क्षतिपूर्ति करायी जा सके।

5.8.5 सम्बन्धित कम्पनियों/फर्मों से यह शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि विकास खण्ड स्तरीय जिंक सल्फेट तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट विक्रय हेतु निर्धारित दर से कम दर पर जिंक सल्फेट तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट की बिक्री खुले बाजार में नहीं करेंगे। उल्लंघन की दशा में विभाग द्वारा सम्बन्धित कम्पनी की धरोहर धनराशि जब्त करते हुये भविष्य के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

5.8.6 कृषक को अपनी स्वेच्छा से भूमि के स्वामित्व के क्षेत्र के अनुसार परन्तु अधिकतम 02 हे0 क्षेत्र के लिए ही अनुदानित जिंक सल्फेट तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट क्रय करना अनुमन्य होगा।

5.8.7 पंजीकृत कृषक, अधिकृत कंपनियों के स्टॉल पर पंहुचकर जिंक सल्फेट तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट क्रय करेंगे और अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप (वि.पत्र का संलग्नक-1) पर अपना विवरण भरते हुये क्रय रसीद की प्रति के साथ विकासखण्ड स्तर पर कृषि विभाग के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्राप्त करायेंगे।

5.8.8 कृषक द्वारा पूरे मूल्य पर क्रय किये गये जिंक सल्फेट तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट की डी0बी0टी0 बीज भण्डार प्रभारी द्वारा अधिकतम तीन दिन के अन्दर आनलाइन बिल, क्रय रसीद की प्रति एंव किसान से प्राप्त अभिलेख के साथ जिला कृषि अधिकारी को जॉच हेतु भेजनी होगी।

5.8.9 जिला कृषि अधिकारी द्वारा भण्डार प्रभारी से प्राप्त क्रय रसीद एंव अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त सन्तुष्ट होने पर आनलाइन बिल, समस्त अभिलेखों के साथ अधिकतम दो दिन के अन्दर उप कृषि निदेशक को अग्रसारित कर दिया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

5.8.10 सामान्य बीज वितरण के अन्तर्गत डी0बी0टी0 हेतु निर्धारित समय सीमा का पालन जिंक सल्फेट तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट में भी किया जायेगा।

5.8.11 प्रत्येक दिन कृषकों को वितरित किये जाने वाले जिंक सल्फेट तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट से सम्बन्धित लाभार्थियों की सूची एक रजिस्टर में भी बीज भण्डार प्रभारी द्वारा अंकित कराने के उपरान्त प्रतिदिन शाम को सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी / उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी से सत्यापित करायी जाएगी।

5.8.12 अधिकृत कम्पनी/फर्म द्वारा विकास खण्डवार जिंक सल्फेट तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट के वितरण की रिपोर्ट प्रतिदिन सांय विकास खण्ड के गोदाम प्रभारी को दी जायेगी। इस रिपोर्ट को भण्डार प्रभारी द्वारा आनलाइन सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक एवं जनपदीय उप कृषि निदेशक को संलग्न प्रारूप 2 पर प्रेषित की जाएगी।

5.8.13 कृषि विभाग के जिला कृषि अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर बीज वितरण की कार्यवाही की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी जिंक सल्फेट तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट वितरण कम्पनियों द्वारा कराकर उसे वेबसाइट पर अपलोड कराया जाय।

5.9 <u>जिप्सम, परम्परागत खेती तथा मृदा स्वास्थ्य सुदृढीकरण के अन्तगत सहायता, प्रशिक्षण, आदि के अन्तर्गत डी0बी0टी0 व अन्य भुगतान :-</u>

प्रमाणित बीज, संकर बीज, प्रदर्शन, कृषि यंत्र, कृषि रक्षा रसायन, कृषि रक्षा उपकरण, बखारी एंव भूमि संरक्षण की डी0बी0टी0 प्रक्रिया के लिये उपर्युक्तानुसार पृथक से दिये गये निर्देशों में जो मदें तथा कार्यक्रम शामिल नहीं हैं उनमें भी पहले पंजीकरण कराओ पहले लाभ पाओ के सिद्धान्त पर किसानों, मजदूरों एंव अन्य को देय समस्त अनुदान एंव भुगतान सीधे बैंक खाते में पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत कार्ययोजना में निर्धारित दरों, पात्रता एंव प्रतिबन्धों के अनुरूप किया जायेगा।

2- सभी योजनाओं की समस्त मदों में समय से डी0बी0टी0 आरम्भ करने के लिये यह आवश्यक होगा कि निदेशालय के सभी योजनाधिकारियों द्वारा डी0बी0टी0 साफ्टवेयर में अपलोड करने के लिये अनुदान प्रक्रिया, दरें, प्रतिबन्ध तथा प्राथमिकताओं आदि के पूर्ण विवरण के साथ मास्टर डाटा वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अथवा वितरण प्रारम्भ होने के कम से कम एक माह पूर्व अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि डी0बी0टी0 प्रक्रिया समय से आरम्भ हो सके। उपर्युक्त व्यवस्था का पालन कृषि विभाग की योजनाओं से लाभ वितरण करने वाली सभी संस्थाओं यथा यू0पी0एग्रो, पीसी0एफ0, बीज विकास निगम या कोई भी अन्य संस्था हो, को करना अनिवार्य होगा।

3- कृपया उक्त प्रक्रिया एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

<u>संलग्नक: यथोक्त</u>

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-20/2017/543(1)/12-3-17-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

3- प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- प्रमुख सचिव, गन्ना विभाग, उ0प्र0 शासन। ।

5- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।

9- प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उ0प्र0 शासन।

10- प्रमुख सचिव, दुग्ध विभाग, उ0प्र0 शासन।

11- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।

12- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

13- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

14- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन।

15- ग्राम्य विकास आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

16- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

17- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

18- महानिदेशक, उपकार, उ0प्र0 लखनऊ।

19- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 एग्रो, उ0प्र0 लखनऊ।

20- प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।

21- प्रबंध निदेशक, बीज विकास निगम, उ0प्र0 लखनऊ।

22- प्रबंध निदेशक, यू.पी. स्टेट एग्रो।

23- निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था, उ0प्र0 लखनऊ।

24- निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।

25- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।

26- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को ई-मेल से तत्काल प्रेषित करते हुए इसे कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाय तथा 02 दिन के पश्चात इस सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर आवश्यक निर्देश दिये जायें।

27 समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

28- समस्त अपर कृषि निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ।

29- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0।

30- समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।

31- समस्त उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, उ0प्र0।

32- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0।

33- समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उ0प्र0।

34- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in